

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक : स्था./प.20/2020/64

दिनांक: 31.03.2020

## आदेश

माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 13/पी.आई./2020 दिनांक 30.03.2020 व परिपत्र क्रमांक 12/पी.आई./2020 दिनांक 24.03.2020 एवं पत्र क्रमांक Gen./XV/43/2020/2604 Date 29.03.2020 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में कोरोनावायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 तक की अवधि में उद्भूत/उत्पन्न होने वाले आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई हेतु न्यायक्षेत्र करौली में पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण को निम्न प्रकार अधिकृत किया जाता है :-

### जिला मुख्यालय करौली :-

क्र.सं.	आवश्यक प्रकृति के सेशन संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	आवश्यक प्रकृति के मजिस्ट्रेट संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	तिथि, जिनके लिए अधिकारीगण को अधिकृत किया जा रहा है
01	Sp. Judge POCSO Act Karauli	-	01, 13 April 2020
02	ADJ Karauli	-	03, 04 April 2020
03	Sp. Judge SC/ST Court Karauli	-	07, 09 April 2020
04	-	ACJM Karauli	09, 13 April 2020
05	-	JM Karauli	01, 03 April 2020
06	-	ACJ & JM Karauli	04, 07 April 2020

### तालुका मुख्यालय हिण्डौन सिटी :-

क्र.सं.	आवश्यक प्रकृति के सेशन संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	आवश्यक प्रकृति के मजिस्ट्रेट संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	तिथि, जिनके लिए अधिकारीगण को अधिकृत किया जा रहा है
01	ADJ No. 01 Hindauncity	-	01, 07, 13 April 2020
02	ADJ No. 02 Hindauncity	-	03, 04, 09 April 2020
03	-	ACJM Hindauncity	01, 03 April 2020
04	-	JM Hindauncity	04, 07 April 2020
05	-	ACJ & JM No. 01 Hindauncity	09, 13 April 2020

उपरोक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि:-

01. आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई Vidyo/whatsapp/skype or voice call के माध्यम से की जावे।
02. आवश्यक प्रकृति के प्रकरण/प्रार्थना पत्र केवल विभागीय ई-मेल आई.डी. पर इस शर्त के अधीन प्राप्त किये जावें कि न्यायालय में नियमित कार्य पुनः प्रारंभ होने पर संबंधित द्वारा हार्ड कॉपी/मूल कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जावेगी।
03. संबंधित अधिकारी अपने न्यायालय का आवश्यक स्टॉफ कार्य हेतु बुलावें व सुरक्षा मानकों के अनुसार स्टॉफ की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

